तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 216/2025 वेदप्रकाश आदि बनाम निर्मलादेवी आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

07/10/25

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थीगण के नाम से तहसील लूनकरनसर के राजस्व ग्राम बालादेसर के खसरा नम्बर 395/83 में तादादी 12.6500 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खातेदारी में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा एंव दखल निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि राजस्व नक्शा में तरमीमशुद्धा है तथा तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा एंव दखल चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान उपतहसीलदार (भू.अ.) महाजन के आदेश क्रमांक उ/तह/म/भू अ/2025/1110 दिनांक 19.06.2025 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को पटवार मंडल बालादेसर, जैतपुर ए. रामसरा के हल्का पटवारियों की संयुक्त टीम ने ग्राम के मौजिज व्यक्तियों एंव खेत पड़ौसीयों की उपस्थिति में पुख्ता चिन्ह बालादेसर, रतनीसर की सरहद (काकड़) को आधार (पुख्ता पॉइन्ट) मानकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 395/83 तादादी 12.6500 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान करवाकर सीमा चिन्ह कायम किये गये।प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही ग्राम बालादेसर के खसरा नम्बर 395/83 तादादी 12.6500 हैक्टेयर भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी) स्थापित करवाना चाहते है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थर गढ़ी नही करने दे रहे है जबकि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थर गढ़ी करवाने का सवैधानिक अधिकार है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान के समय हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा कायम कर कच्चे चिन्ह (रत के दाबे) लगवाये थे लेकिन अप्रार्थीगण उक्त सीमा चिन्ह पर पुख्ता चिन्ह (पत्थर गढ़ी) नही करने दे रहे है जिसका कतई अधिकारी अप्रार्थीगणों को नही है। अप्रार्थीगण 1 ता 12 की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में अलग अलग ख0न0 398/83, 81, 561/84 में स्थित है तथा जो नक्शा में अलग अलग तरमीम की गई है। अप्रार्थी सं. 01 ता 12 प्रार्थीगण के दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा के सींव जोड़ काश्तकार है। जिसका बैजा फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर पत्थर गढी नही करने दे रहे है अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है । अतः प्रार्थना पत्र बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा रोही बालादेसर के खसरा नम्बर 395/83 तादादी 12.6500 हैक्टेयर भूमि की सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी) कायम कराने का आदेश तहसीलदार लूनकरणसर को प्रदान करें। वकील अप्रार्थी द्वारा जरिये जवाब निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के तथ्य अस्वीकार है। सीमाज्ञान केवल मात्र कागजो मे अंकित किया गया क्योंकि प्रार्थीगणो का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार उपतहसीलदार (भू.अ.) महाजन के आदेश क्रमांक उ/तह/म/भू अ/2025/1110 दिनांक 19.06.2025 की पालना मे पटवार हल्का द्वारा सीमाज्ञान किया जाकर तथा मौके पर फर्दमौका बनाया गया, पढकर सुनाया गया प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडी स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर को प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बालादेसर के खसरा नम्बर 395/83 में तादादी 12.6500 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि के सींवजोड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर